

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -
- गंभीर रोग ग्रस्त/विकलांग
 - मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता
 - पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 - उत्तराखण्ड सरकार में कार्यरत पति-पत्नी
 - विधुर/विधवा/तलाकशुदा/वरिष्ठ कार्मिक
 - दुर्गम से दुर्गम
 - सुगम से दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-
(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाईट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्ये, उत्तराखण्ड
जनपद-

पत्रांक संख्या-

दिनांक-

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम-
02. पिता/पति का नाम-
03. पदनाम-
04. नियुक्ति का प्रकार-
05. वर्तमान तैनाती का स्थान-
06. वर्तमान तैनाती की तिथि-
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुने)

- सुगम से दुर्गम
 अनुरोध
 दुर्गम से सुगम
 स्थानान्तरण से छूट
 स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- वरिष्ठ कार्मिक
 दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

प्रेषक,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Enail सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

1. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2. अधीक्षक,
ऋषिकुल राजकीय औषधि निर्माणशाला,
हरिद्वार।
3. वैज्ञानिक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हरिद्वार।

532-36
संख्या

विषय:-

/जी-78/2025-2026/अधि0,

दिनांक 20.04.2026


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से विकल्प पत्र प्राप्त किये जाने एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026 हेतु पात्र कार्मिकों से अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र) के सम्बन्ध में विकल्प पत्र प्राप्त किये जाने एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने है। इस सम्बन्ध में सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची, उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा चुकी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु (सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम) पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिये विकल्प पत्र एकत्रित कर तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्रों को प्रमाणित कर तथा अग्रसारण पत्र में सूची तैयार करते हुये (दुर्गम क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र) के सम्बन्ध में विकल्प तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र पृथक-पृथक) विशेष पत्र वाहक के माध्यम से तत्काल/निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि कि पश्चात विकल्प स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

भवदीय


(डा0के0एस0नपलच्याल)
संयुक्त निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस विभाग से आपके प्रतिष्ठान में तैनात चिकित्साधिकारियों से स्थानान्तरण हेतु आवेदन/विकल्प निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0के0एस0नपलच्याल)
संयुक्त निदेशक

